

-विक्रय-पत्र-

बिक्री _____/ मासियत _____/ ई-स्टाम्प _____/

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - आवासीय
2. परगना - प्रतापगंज
3. ग्राम - _____ वीकोड-1358 पेज नं०-48
4. सम्पत्ति का विवरण नं० - _____
5. मापन की इकाई - वर्गमी०
6. क्षेत्रफल - _____ वर्गमी०
7. सड़क की स्थिति - लखनऊ से फैजाबाद मार्ग से 300 मीटर दूर
8. अन्य - कुछ नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय प्लॉट
10. निर्मित क्षेत्रफल - कुछ नहीं
11. सरकारी दर - _____/- प्रति वर्गमी०
12. प्रतिफल की धनराशि - _____/-
13. चौहद्दी प्लॉट नम्बर -- :-

पूरब-

प्रथम पक्ष संख्या 1

विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

आर०ए०बी० ग्लोबल सोल्यूशन्स
प्रा०लि० 7 प्लोर साइबर हाइट
विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
CIN No-
UP93000DL2012PTC241462
PAN-AAGCR0608G
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी

पेशा-व्यापार

आ०का०सं०-

मो०नं०-

पुत्र -
निवासी-

पेशा-

आ०का०सं०-

-लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण:-

हम आर०ए०बी० ग्लोबल सोल्यूशन्स प्रा०लि० 7 प्लोर साइबर हाइट विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी _____ प्रथम पक्ष विक्रेता व _____ द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि मैं प्रथम पक्ष एक किता प्लॉट आराजी खसरा नम्बरी _____ स्थित ग्राम _____ परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित प्लॉट में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से निम्नलिखित विवरण के प्लॉट को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० _____/- चार लाख बीसवीं हजार रूपया जिसके आधे _____/- दो लाख ब्यालिस हजार रूपया होते हैं, के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य _____/जरिये NEFT _____ दिनांक _____ व मु० _____/जरिये NEFT _____ दिनांक _____ इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका हैं। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत प्लॉट पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या उसके किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लॉट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामिनी है। जो चाहे करे व विक्रीत प्लॉट का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लॉट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

विवरण विक्रीत प्लॉट पैमाईश:-

पूरब - _____ फिट

पश्चिम - _____ फिट

उत्तर - ... फिट
दक्षिण - ... फिट
क्षेत्रफल वर्गफिट अर्थात्

बौद्धदी प्लॉट नम्बर ----- :-

पूरब- पश्चिम- उत्तर- दक्षिण

बिक्रीत प्लॉट किसी सड़क या खड्गमार्ग पर नहीं है। बिक्रीत प्लॉट की 50 मीटर चिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि व रोड नहीं है। बिक्रीत प्लॉट का इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। बिक्रीत प्लॉट प्रथम पक्ष की क्रय की हुई सम्पत्ति है। जिसका इन्दाज कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज जिला बाराबंकी में दिनांक वही संख्या 1 जिल्द संख्या क्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत है। बिक्रीत प्लॉट की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित/- प्रति वर्गमी० की दर से मु०/- रूपया होती है परन्तु बिक्रीत प्लॉट की मु०/- रूपया है जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या सं०वि०क०नि० -5-2756/11-2008 -500(165)/2007 तखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत मु०/- रूपये का ई-स्टाम्प द्वारा अदा किया गया है। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजातों व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार अन्तरण विलेख में किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति दक्क की सम्पत्ति नहीं है। के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रय विलेख को हम दोनों पक्ष पढ़ व सुन व समझ कर स्वेच्छापूर्वक हस्ताक्षर/अंगूठा बना दिया है।

दिनांक

गवाह नं०-1

गवाह नं०-2